न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–188/2023 दायर दिनांक– 14.07.2023
GCMS NO:- 2023/298 पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

अमीना पुत्री कुतुबद्दीन नि0 नैनवॉ पत्नी बाबू मोहम्मद जाति मुसलमान नि0 नगरफोर्ट वगैरह (कुल 9)।

प्रार्थीगण

बनाम

राधेश्याम आ0 गोरीलाल जाति खाती नि0 गुढादेवजी तहसील नैनवॉ वगै0 (कुल 8)

अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 111, 128 एल आर एक्ट</u>

उपस्थितिः–
प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश कुमार ठाकौर।

निर्णय दिनांक 26.6.2025

<u>–:निर्णयः–</u>

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम गुढादेवजी तहसील नैनवॉ मे भूमि खसरा नम्बर 1548/278 रकबा 0.2427 हैक्टयर स्थित है जिसकी चतुर्थसीमा इस प्रकार है कि पूर्व मे उच्छबलाल की भूमि, पश्चिम मे राधेश्याम की भूमि, उत्तर मे बाबू, मच्छू की भूमि व दक्षिण मे भूलीबाई, उच्छबलाल की भूमि स्थित है।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमि के प्रार्थीगण खातेदार कृषक है और इसी रूप मे भूमि पर काबिज चले आ रहे है। प्रार्थीगण उक्त भूमि की सुरक्षा के लिए पत्थरगढी करवाकर डोल लगाकर तारबंदी करना चाहते है परन्तु मौके पर विवाद ना हो इस कारण पूर्ण नाप चौप कराकर पत्थरगढी कराकर ही डोल लगाना चाहते है ताकि विवाद ना हो।

यह कि प्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थीगण अपनी भूमि की सीमाबंदी करवाये। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र, नकल जमाबन्दी,, नक्शा ट्रेस पेश कर धारा 111, 128 एल.आर एक्ट के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश पत्थरगढी करवाये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 के नोटिस बाद तामिल प्राप्त होने के बावजूद भी उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है।

आज दिनांक 26.6.2025 को हमने पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन किया तथा पाया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र को प्रस्तुत किये लगभग 2 वर्ष का समय होने वाला है जबकि यह एक समरी ट्रायल प्रार्थना पत्र है अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नैनवॉ को इस आशय के साथ आदेशित किया जाता हैं कि ग्राम गुढादेवजी के खसरा नम्बर 1548/278 रकबा 0.2427 हैक्टयर भूमि पर प्रार्थीगण का यदि संपूर्ण हिस्से पर कब्जा पाया जाता है तो नायब तहसीलदार अथवा भू–अभिलेख निरीक्षक स्तर के अधिकारी की टीम गठित कर व आवश्यक हो तो पुलिस इमदाद प्राप्त कर 500/– रूपये अक्षरे पांच सौ रूपये शुल्क राजकोष में जमा कराने पर पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 26.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवा